प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स ....60/22....... दिनांक ....24/2/22..
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं – 7, 7 ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 120 बी भा.द.स.
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं – –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ....519......... समय ....4:20 pm..............
(2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 22–2–2022 समय 9.52 ए.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21–2–2022 समय 4.00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक– लिखित
5. घटना स्थल : –
(1) थाना से दिशा व दूरी– बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 500 किलोमीटर
(2) पता– कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग डूंगरपुर ।
.... बीट संख्या .... जरायमदेही संख्या ....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
परिवादी
(1) नाम : श्री अभिषेक रावल
(2) पिता का नाम : दिनेश कुमार रावल
(3) आयु : 28 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(6) व्यवसाय : मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स वागड गोट मीट एण्ड पॉल्ट्री फार्म पादरडी डूंगरपुर
(7) पता : शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1) डॉ. उपेन्द्र सिंह पिता स्व. श्री रामसिंह उम्र 59 वर्ष निवासी गांव पोस्ट जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल डी 15, छत्रसाल नगर, नंदपुरी नियर मालवीय नगर जयपुर हाल उप निदेशक, पशुधन विकास जिला डूंगरपुर अतिरिक्त चार्ज संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर।
2) डॉ. जावेद खान पुत्र श्री ईस्माईल खान उम्र 47 वर्ष निवासी मुकाम पोस्ट बागणी तहसील वालवा जिला सांगली महाराष्ट्र हाल वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी पीपलादा जिला डूंगरपुर।
3) श्री अनिल भगोरा पुत्र स्व. श्री लालशंकर उम्र 53 वर्ष निवासी गांव बरोठी पुलिस थाना व तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर हाल पशुधन सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग जिला डूंगरपुर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा 1,60,000/– रूपये, आरोपीगणों के द्वारा परिवादी से 1,60,000 रूपये रिश्वत मांगकर ग्रहण करना।
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 1,60,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

विषय–आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुझ प्रार्थी अभिषेक रावल पिता दिनेश कुमार रावल निवासी शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर हाल मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स वागड गोट मीट एण्ड पॉल्ट्री फार्म पादरडी डूंगरपुर का इस प्रकार है कि हमारी फर्म की पशुपालन विभाग डूंगरपुर (संयुक्त निदेशक) के आदेश क्रमांक 669 दिनांक 11–2–2022 के द्वारा 59 गोट यूनिट (5 + 1) पशुपालन विभाग की सप्लाई करने का आदेश हुआ है। जिस पर प्रति यूनिट 52000 (इंश्योरेंस व ट्रांसपोर्ट के अलावा) रेट तय हुआ। हमारी फर्म ने 20 यूनिट गोट पशुपालन विभाग को सप्लाई कर दी है। जिसका पेमेंट 10,77,000 (दस लाख सत्तहर हजार रूपये) फर्म के अकाउंट में विभाग द्वारा जमा किया गया है। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. जावेद खान सिनियर वेटेनरी ऑफिसर, डूंगरपुर ने मेरे से पूरी 59 यूनिट गोट सप्लाई पर प्रत्येक 20 यूनिट के सप्लाई के बाद 1,60,000 (एक लाख साठ हजार रूपये) रिश्वत की मांग कर रहा है व कह रहा है कि यह ठेका तुमको मैंने दिलाया है। इसलिए रिश्वत की मांग करते हुए आज मेरे से उक्त राशि 1,60,000 रूपये रिश्वत मांग रहा है व कह रहा है कि रिश्वत नहीं दी तो आगे से बची हुई 39 यूनिट गोट सप्लाई नहीं होने दूंगा व ठेका केन्सल करा दूंगा। मैं डॉ. जावेद खान को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ व रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें।''

एसडी	एसडी	प्रार्थी
लक्ष्मण मीणा	लोकेश टांक	–एसडी–
		अभिषेक रावल

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 21–2–2022 को समय 4.00 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, उदयपुर ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अभिषेक रावल निवासी शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर से परिचय करवाया जाकर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक को निर्देशित किया। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक परिवादी एवं परिवादी के द्वारा लिखित रिपोर्ट दिनांक 21.02.2022 को लेकर मेरे कार्यालय कक्ष में पहुंच परिवादी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो परिवादी द्वारा अपनी स्वयं हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ''मुझ प्रार्थी अभिषेक रावल पिता दिनेश कुमार रावल निवासी शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर हाल मैनेजिंग डायरेक्टर, मैसर्स वागड गोट मीट एण्ड पॉल्ट्री फार्म पादरडी डूंगरपुर का इस प्रकार है कि हमारी फर्म की पशुपालन विभाग डूंगरपुर (संयुक्त निदेशक) के आदेश क्रमांक 669 दिनांक 11–2–2022 के द्वारा 59 गोट यूनिट (5 + 1) पशुपालन विभाग की सप्लाई करने का आदेश हुआ है। जिस पर प्रति यूनिट 52000 (इंश्योरेंस व ट्रांसपोर्ट के अलावा) रेट तय हुआ। हमारी फर्म ने 20 यूनिट गोट पशुपालन विभाग को सप्लाई कर दी है। जिसका पेमेंट 10,77,000 (दस लाख सत्तहर हजार रूपये) फर्म के अकाउंट में विभाग द्वारा जमा किया गया है। पशुपालन विभाग के अधिकारी डॉ. जावेद खान सिनियर वेटेनरी ऑफिसर, डूंगरपुर ने मेरे से पूरी 59 यूनिट गोट सप्लाई पर प्रत्येक 20 यूनिट के सप्लाई के बाद 1,60,000 (एक लाख साठ हजार रूपये) रिश्वत की मांग कर रहा है व कह रहा है कि यह ठेका तुमको मैंने दिलाया है। इसलिए रिश्वत की मांग करते हुए आज मेरे से उक्त राशि 1,60,000 रूपये रिश्वत मांग रहा है व कह रहा है कि रिश्वत नहीं दी तो आगे से बची हुई 39 यूनिट गोट सप्लाई नहीं होने दूंगा व ठेका केन्सल करा दूंगा। मैं डॉ. जावेद खान को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ व रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। कानूनी कार्यवाही करावें।'' परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में परिवादी ने मजीद